

(भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
वाणिज्य भवन, नई दिल्ली

अधिसूचना सं. 02/2025-26

दिनांक: 02 अप्रैल, 2025

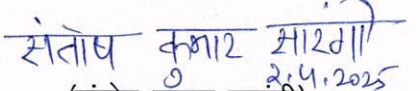
विषय: आइटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय-20 के आइटीसी (एचएस) कोड 20081920 के अंतर्गत आने वाली भुनी हुई सुपारी की आयात नीति और नीतिगत शर्त में संशोधन।

सा.आ.(अ.) समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2015-2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 और धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा आइटीसी (एचएस) 2022, अनुसूची-I (आयात नीति) के आइटीसी (एचएस) कोड 08028090 और 20081920 के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तों को शामिल करती हैं:-

आइटीसी (एचएस) कोड	विवरण	नीति	संशोधित नीतिगत शर्त
08028090	सुपारी—अन्य	प्रतिबंधित	(क) तथापि, आयात मुक्त है यदि सीआइएफ मूल्य 351/-रुपए और इससे अधिक प्रति किलोग्राम है। (ख) तथापि, एमआइपी शर्तें 100% निर्यातोन्मुख इकाइयों (ईओयू), विशेष आर्थिक क्षेत्र में इकाइयों द्वारा आयात तथा अग्रिम प्राधिकार पत्र स्कीम के तहत आयात पर लागू नहीं होगी। (ग) यह कोड भुनी हुई सुपारी सहित सभी प्रकार की संसाधित सुपारी को भी कवर करती है।
20081920	अन्य भुनी हुई सुपारी और बीज	मुक्त	तथापि, "भुनी हुई सुपारी" को यहाँ शामिल नहीं किया गया है क्योंकि वे विशेष रूप से 08028090 के अंतर्गत आते हैं।

इस अधिसूचना का प्रभाव: आइटीसी (एचएस) कोड 08028090 और 20081920 के अंतर्गत आने वाली "भुनी हुई सुपारी" की आयात नीति को "मुक्त" से संशोधित करके "निषिद्ध" किया गया है और यदि सीआइएफ मूल्य 351/- रुपये या इससे अधिक है प्रति किलोग्राम तो आयात मुक्त होगा।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।


(संतोष कुमार सारंगी)
24.4.2025

महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई-मेल : dgft@nic.in